संख्या-35/2021/387/71-2-2021-के0जी0एम0यू0-63/2017

प्रेषक,

आनन्द कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- **महानिदेशक,**
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

2- **कुलसचिव,**
के0जी0एम0यू0,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 26 मार्च, 2021**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत पूंजी लेखा पक्ष में PET-CT Facility हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने (महानिदेशक) पत्रांक-एमई/बजट/2020-21/143, दिनांक 19-02-2021 के संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विश्वविद्यालय में PET-CT Facility हेतु उपकरण मद में रू0 1500.00 लाख पुनर्विनियोग किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- **वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक-4815/वित्त एवं लेखा/क्रय/2021, दिनांक 19.03.2021 द्वारा के0जी0एम0यू0 के न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग में PET-CT Facility प्रारम्भ किए जाने हेतु 02 उपकरणों की सूची उपलब्ध कराते हुए उक्त उपकरणों को क्रय किए जाने की आवश्यकता से अवगत कराया गया है।**

3- **इस संबंध में वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0 के उपर्युक्त प्रस्तर-2 में संदर्भित पत्र दिनांक 19.03.2021 द्वारा उपलब्ध कराए गए उपकरणों की सूची अनुमोदित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत पूंजी पक्ष में लेखा शीर्ष 4210-03-105-77-जनपद बलरामपुर में किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ का सेटेलाइट सेन्टर-24-वृहद निर्माण कार्य मद में रू0 1500.00 लाख की हो रही सम्भावित बचत की धनराशि को पुनर्विनियोग के माध्यम से किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ को, संलग्न प्रपत्र-बीएम-9 में उल्लिखित मानक मद "4210-03-105-06-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" मद में रू0 1500.00 लाख (रूपया पन्द्रह करोड मात्र) संक्रमित (पुनर्विनियोग) कर, संक्रमित धनराशि को अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-**

1. **वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 24 मार्च 2020 (यथा-संशोधित) में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।**
2. **जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, में बचत की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विश्वविद्यालय के कुलसचिव/वित्त अधिकारी का होगा।**
3. **जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग वित्तीय वर्ष 2020-21 में नहीं की जायेगी।**
4. **स्वीकृति धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिये स्वीकृति दी गयी है।**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि को किसी बैंक/पोस्ट आफिस में नहीं रखा जायेगा।
6. जिस मद में पुनर्विनियोग किया जा रहा है, उसका उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में कर लिया जाए।

4- धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, के0जी0एम0यू0 द्वारा आहरित किया जायेगा एवं बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत पूंजी पक्ष में मानक मद "4210-03-105-06-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न बी0एम0-9 (1) के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखा-शीर्षक में हो रही बचतों से वहन किया जायेगा।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-आर0ई0-447/ई-3-279/दस-2021, दिनांक 03/03/2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

7- इस संबंध में निर्गत ई-शासनादेश संख्या-25/2021/80/71-2-2021-02/2021 टी0सी0, दिनांक 12.03.2021 निरस्त समझा जाए।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(आनन्द कुमार)
विशेष सचिव।

संख्या-35/2021/387/71-2-21-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2) कुलसचिव, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3) वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ।
4) संबंधित कोषाधिकारी, लखनऊ।
5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम शंकर तिवारी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Filename: 35
Directory: C:\Users\me-2\Documents
Template: C:\Users\me-2\AppData\Roaming\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title:
Subject:
Author: ajai
Keywords:
Comments:
Creation Date: 3/26/2021 5:00:00 PM
Change Number: 2
Last Saved On: 3/26/2021 5:00:00 PM
Last Saved By: me-2
Total Editing Time: 1 Minute
Last Printed On: 3/26/2021 5:00:00 PM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 2
Number of Words: 588 (approx.)
Number of Characters: 3,355 (approx.)